मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक18सन् 2005 मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

विषय-सूची

खण्ड :

- 1— संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
- 2- परिभाषाएं।
- 3- राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्य।
- 4- राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांत।
- 5— राजकोषीय नीति के विवरण विधान-मंडल के समक्ष रखे जायेंगे।
- 6- वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण (माक्रोइकनामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट)।
- 7- मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण।
- 8- राजकोषीय नीतियुक्त विवरण।
- 9— राजकोषीय लक्ष्य।
- 10- राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय।
- 11- अनुपालन करवाने के लिये उपाय।
- 12- नियम बनाने की शक्ति।
- 13— सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 14— अन्य विधियों के लिये लागू होने का वर्जन।
- 15- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक18सन् 2005

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थायित्व में दूरदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर दूर करके, राजकोषीय घाटे में कमी लाकर राजकोषीय धारणीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन व्दारा सरकार की राजकोषीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यम कालिक रुप रेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करके राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान—मंडल व्दारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय संक्षिप्त नाम, उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 है।
- विस्तार और (2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।
- प्रारंभ. (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त, राजपत्र में, अधिसूचना व्दारा नियत करे।
- 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ. (क) ''बजट'' से अभिप्रेत है संविधान के अनच्छेद 202 व
 - (क) ''बजट'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान—मंडल के समक्ष रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण;
 - (ख) ''चालू वर्ष '' से अभिप्रेत है आगामी वर्ष का पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष:
 - (ग) ''आगामी वर्ष'' से अभिप्रेत है ऐसा वित्तीय वर्ष जिसके लिये बजट पेश किया जा रहा है;
 - (घ) '' वित्तीय वर्ष '' से अभिप्रेत है अप्रैल की पहली तारीख को प्रारंभ होने वाला वर्ष;
 - (ड.) ''राजकोषीय घाटा '' से अभिप्रेत है राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों, ऋणों की वसूली और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक कुल संवितरण (ऋण के प्रतिसंदाय का शुद्ध);

- (च) ''राजकोषीय लक्ष्य'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिये, जीएसडीपी की आंकिक सीमा ओर अनुपात के ऐसे उपाय, जो विहित किये जाएं:
- (छ) ''जीएसडीपी'' से अभिप्रेत है चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन;
- (ज) '' रिजर्व बैंक '' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम्, 1934 (1934 का संख्यांक 2) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक;
- (झ) ''राजस्व घाटा'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर:
- (ञ) "कुल दायित्व " से अभिप्रेत है राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व तथा इसमें राज्य सरकार की जोखिम अधिमान प्रत्याभूति बाध्यताएं सम्मिलित है, जहां राज्य बजट में से मूल और / या ब्याज का उपयोग होता है।

3. राज्य सरकार-

सिद्धान्त.

- राजकोषीय (क) राजस्व घाटे को दूर करने के लिये समुचित उपाय करेगी और प्रबंधन के उद्देश्य. तत्पश्चात् पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाये रखेगी तथा राजकोषीय घाटे को धारणीय स्तर पर बराबर बनाये रखेगी, और ऐसे अधिशेष का पूंजीगत व्यय के निधिकरण के लिये उपयोग करेगी;
 - (ख) लागत की वसूली और इक्विटी का सम्यक ध्यान रखते हुये करेतर राजस्व को बढ़ाने की नीतियों का अनुसरण करेगी; और
 - (ग) पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता के लिये सन्नियम अधिकथित करेगी, और ऐसी व्यय नीतियों का अनुसरण करेगी, जो आर्थिक विकास, गरीबी कम करने में और मानव कल्याण की उन्नति के लिये प्रेरक शक्ति होगी।
- 4. राज्य सरकार, निम्नलिखित राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धान्तों द्वारा राजकोषीय मार्गदर्शित होगी, अर्थात् प्रबंधन के (क) राजकोषीय नीति के उददेश्यों को उपवर्णित करने में, लोक
 - (क) राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को उपवर्णित करने में, लोक नीति के कियान्वयन में और राजकोषीय सूचना के प्रकाशन में पारदर्शिता, जिससे राजकोषीय नीति के संचालन में और लोक वित्त की संवीक्षा करने में जनता समर्थ हो सके;
 - (ख) राजकोषीय नीति बनाने की प्रक्रिया में स्थायित्व और पूर्वानुमेयता;

- (ग) लोक वित्त प्रबंधन में उत्तरदायित्वता, जिसमें बजट बनाने में सत्यनिष्ठा भी सम्मिलित है;
- (घ) इस निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हुए कि भावी पीढियों पर उनकी वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखकर, राज्य सरकार की नीति का निर्णय लिया गया है; और
- (ड.) राजकोषीय नीति को बनाने और उसके क्रियान्वयन में दक्षता।
- 5. राज्य सरकार, बजट के साथ—साथ राजकोषीय नीति के निम्नलिखित राजकोषीय विवरणों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान—मंडल के समक्ष रखेगी, नीति के अर्थात् :— विवरण

विधान —मंडल के समक्ष

रखे जाएंगे.

- (क) वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (माकोइकानामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट);
- (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; और (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण।
- 6. वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण, ऐसे प्ररुप में होगा, जो विहित किया वृहद आर्थिक रुपरेखा जाए और जिसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था पर विस्तृत विवरण (माक्रोइकानामिक विचार, जीएसडीपी के विकास और क्षेत्रीय सम्मिश्रण फ्रेमवर्क स्टेटमेंट). का विश्लेषण, राज्य सरकार की वित्तीय और भावी संभावना से संबंधित निर्धारण अन्तर्विष्ट होंगे।
- 7. (1) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण, ऐसे प्ररुप में होगा, जो मध्यम कालिक विहित किया जाए और इसमें राज्य सरकार के राजकोषीय राजकोषीय उद्देश्यों और पूर्वानुमानों का स्पष्ट निरुपण करते हुये पाँच नीति विवरण वर्ष के चल लक्ष्य अन्तर्विष्ट होंगे।
 - (2) विशिष्टतया तथा उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरणों में, राजकोषीय लक्ष्यों के पीछे कतिपय पूर्वानुमानों और धारणीयता के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,
 - (एक) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन;
 - (दो) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग; और
 - (तीन) बीमांकित आधार पर या आगामी दस वर्ष के लिये विकास

दर के रुख का उपयोग करके निकाले गये अनुमानित वार्षिक पेंशन दायित्व।

- 8. राजकोषीय नीति युक्ति विवरण, ऐसे प्ररुप में होगा, जैसा कि विहित राजकोषीय नीति किया जाए और उसमें अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित युक्ति विवरण. अन्तर्विष्ट होंगे,—
 - (एक) कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों के संबंध में राज्य सरकार की आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति जिसमें प्रत्याभूतियां भी सम्मिलित हैं;
 - (दो) राजकोषीय क्षेत्र में आगामी वर्ष के लिये राज्य सरकार की कार्यनीति प्राथमिकताएं :
 - (तीन) कराधान, सहायिकी, व्यय, प्रशासित मूल्य निर्धारण और उधारों से संबंधित राजकोषीय उपायों में कोई भी मुख्य विचलन के लिये मुख्य राजकोषीय उपाय और मूलाधार; और
 - (चार) धारा 4 में दिये गये राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों, धारा 7 में दिये गये मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में अन्तर्विष्ट राजकोषीय उद्देश्यों और धारा 9 में दिये गये राजकोषीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की चालू नीतियों का मूल्यांकन।
- 9. राजकोषीय लक्ष्य,
- (1) राज्य सरकार, ऐसे लक्ष्यों को विहित कर सकेगी, जो वह राजकोषीय प्रबन्धन के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक समझे।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार —
 - (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करेगी जिससे इसे 31 मार्च, 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बढ़ाया जा सक;
 - (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को कम करेगी, जिससे 31 मार्च, 2009 तक वह जी एस डी पी के 3.00 प्रतिशत से अधिक न रहे;
 - (ग) 10 वर्षों की कालावधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगी यानी 31 मार्च, 2015 को कुल दायित्व उस वर्ष के लिये प्राक्कलित जीएसडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;

(घ) प्रत्याभूतियों की वार्षिक वृध्दि दर परिसीमित करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि चालू वर्ष की कुल प्रत्याभूतियाँ पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं हो:

परंतु राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, भारत संघ के बजट प्राक्कलन के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमन में कमी के आधार या आधारों के कारण और, / या राज्य सरकार के वित्त पर आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं के आधार या आधारों के कारण या ऐसे अन्य आपवादिक आधारों के कारण जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगाः

परंतु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में एक विवरण धारा 11 में अन्तर्विष्ट किये गये अनुसार विधान—मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

10. राजकोषीय पारदर्शिता के उपाय. (1)

- राज्य सरकार, लोक हित में अपनी राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपाय करेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, बजट पेश करते समय विस्तृत जानकारी के साथ निम्नलिखित विवरणों का प्रकटन ऐसे प्ररुपों में करेगी, जो विहित किये जायें :— (क) लेखा मानकों में, नीतियों और राजकोषीय संगणना के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की संभावना वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से उधारों के रुप में और अग्रिमों और/ओवर—ड्राप्टों के व्दारा प्राप्ति के संबंध में ब्यौरे;
 - (ग) राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे।

11. अनुपालन करवाने के लिये उपाय.

- (1) वित्त विभाग का भार साधक मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात वित्त मंत्री के नाम से निर्दिष्ट है) प्रत्येक छमाही पर बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रुखों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम को राज्य विधान—मंडल के समक्ष रखेगा।
- (2) जब कभी, राजकोषीय नीति युक्ति विवरण में या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में वर्णित छहमाही लक्ष्यों के राजस्व में या तो कमी आती है या व्यय में आधिक्य होता है तब राज्य सरकार राजस्व में वृध्दि करने के लिये और / या व्यय में कमी करने के लिये समुचित उपाय करेगी जिसमें राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के प्राधिकृत राशियों में कटौती करना भी सम्मिलित है:

परंतु इस उपधारा में की कोई बात संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय या किसी ऐसे व्यय को लागू नहीं होगी, जो किसी करार या संविदा के अधीन उपगत किये जाने के लिये अपेक्षित है या ऐसा अन्य व्यय जो स्थिगित या कम नहीं किया जा सकता है।

- (3) (क) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई भी विचलन विधान—मंडल के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
 - (ख) जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन किया जाता है, वहां वित्त मंत्री विधान—मण्डल में निम्नलिखित के बारे में स्पष्टीकरण देते हुये कथन करेगा:—
 - (एक) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन;
 - (दो) क्या ऐसा विचलन सारवान है और वह वास्तविक या संभावित बजट परिणामों से संबंधित है; और

(तीन) ऐसे उपचारी उपाय, जिन्हें करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है।

- (4) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के यथाअपेक्षित अनुपालन का कालिकतः पुनर्विलोकन करने के लिये जिम्मेदारी राज्य सरकार से स्वतंत्र किसी एजेंसी को सौंप सकेगी और ऐसे पुनर्विलोकन को राज्य विधान—मंडल के पटल पर रखा जायेगा।
- 12. नियम बनाने की शक्ति.
- (1) राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना व्दारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के बाबत उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—
 - (क) धारा 6 के अधीन वृहद् आर्थिक रुपरेखा विवरण (माक्रो—इकानामिक फ्रेमवर्क) का प्ररुप;
 - (ख) धारा 7 के अधीन राजकोषीय लक्ष्यों सहित मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण का प्ररुप;
 - (ग) धारा 8 के अधीन राजकोषीय नीति युक्ति विवरण का प्ररुप;
 - (घ) धारा 10 की उप धारा (2) के अधीन प्रकटन के लिये प्ररुप;
 - (ड.) धारा 11 के अधीन अनुपालन करवाने के लिये उपाय;
 - (च) धारा 11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी व्दारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के पुनर्विलोकन की रीति; और
 - (छ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जा सके।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

13. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

- अन्य विधियों के लागू होने का वर्जन.
- इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।
- 15. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश व्दारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और इस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

MADHYA PRADESH ACT NO18 OF 2005

THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA EVAM BUDGET PRABANDHAN ADHINIYAM, 2005

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

- 1. Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Fiscal Management Objectives.
- 4. Fiscal Management Principles
- 5. Fiscal Policy Statements to be laid before the Legislature.
- 6. Macro-economic Framework Statement.
- 7. Medium Term Fiscal Policy Statement.
- 8. Fiscal Policy Strategy Statement.
- 9. Fiscal Targets.
- 10. Measures for Fiscal Transparency.
- 11. Measures to Enforce Compliance.
- 12. Power to Make Rules.
- 13. Protection of Action taken in good faith.
- 14. Application of other laws not barred.
- **15.** Power to Remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT NO18 OF 2005

THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA EVAM BUDGET PRABANDHAN ADHINIYAM, 2005

A Act to provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability by progressive elimination of revenue deficit, reduction in fiscal deficit, prudent debt management consistent with fiscal sustainability, greater transparency in fiscal operations of the Government and conduct of fiscal policy in a medium term framework and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows: -

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya

Short title, extent Uttardayitva Evam Budget
And commencement Prabandhan Adhiniyam, 2005

- (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires: -

Definitions

- a) " budget" means the annual financial statement laid before the State Legislature under Article 202 of the Constitution;
- b) "current year" means the financial year preceding the ensuing year;

- c) "ensuing year" means the financial year for which the budget is being presented;
- d) "financial year" means the year commencing on the first day of April;
- e) "fiscal deficit" means the excess of aggregate disbursements (net of debt repayments) over revenue receipts, recovery of loans and non debt capital receipts of the State Government;
- f) "fiscal targets" means the measures such as numerical ceilings and proportions to GSDP, as may be prescribed for evaluation of the fiscal position of the State Government;
- g) "GSDP" means Gross State Domestic Product at current market prices.
- h) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under subsection (1) of section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No.2 of 1934);
- i) "revenue deficit" means the difference between revenue expenditure and revenue receipts of the State Government;
- j) "total liabilities" means the liabilities under the Consolidated Fund of the State and the Public Account of the State and includes risk weighted guarantee obligations of the State Government where the principal and/ or interest are to be serviced out of the State budget;

3. The State Government shall:

Fiscal Management Objectives.

- (a) take appropriate measures to eliminate the revenue deficit and thereafter build up adequate revenue surplus and contain the fiscal deficit at a sustainable level and utilize such surplus for funding capital expenditure;
- (b) pursue policies to raise non-tax revenue with due regard to cost recovery and equity; and
- (c) lay down norms for prioritization of capital expenditure, and pursue

expenditure policies that would provide impetus for economic growth, poverty reduction and improvement in human welfare.

4. The State Government shall be guided by the following fiscal

Fiscal Management

management principles, namely: -

Principles

- (a) transparency in setting the fiscal policy objectives, the implementation of public policy and the publication of fiscal information so as to enable the public to scrutinise the conduct of fiscal policy and the state of public finances;
- (b) stability and predictability in fiscal policy making process;
- (c) responsibility in the management of public finances, including integrity in budget formulation;
- (d) fairness to ensure that policy decisions of the State Government have due regard to their financial implications on future generations; and
- (e) efficiency in the design and implementation of the fiscal policy.
- 5. The State Government shall in each financial year lay before

Fiscal Policy Statements to be laid before the Legislature.

the Legislature, the following statements of fiscal policy along with the budget.

namely:-

- (a) the Macro- economic Framework Statement;
- (b) the Medium Term Fiscal Policy Statement; and
- (c) the Fiscal Policy Strategy Statement.
- 6. The Macro-economic Framework Statement, in such form as

Macro-economic Framework

may be prescribed and

Statement

it shall contain an overview of

the State economy, an analysis of growth and sectoral composition of GSDP, an

assessment related to State Government finances and future prospects.

7. (1) The Medium Term Fiscal Policy Statement shall be in such

Medium Term Fiscal Policy Statement

form as may be prescribed and it shall contain the fiscal

objectives of the State Government and five year rolling targets with clear enunciation of underlying assumptions.

- (2) In particular and without prejudice to the provisions contained in sub section (1), the Medium Term Fiscal Policy Statement shall include the various assumptions behind the fiscal targets and an assessment of sustainability relating to:-
 - (i) the balance between revenue receipts and revenue expenditures;
 - (ii) the use of capital receipts including borrowings for generating productive assets; and
 - (iii) the estimated yearly pension liabilities worked out on actuarial basis or using trend growth rate for the next ten years.
- 8. The Fiscal Policy Strategy Statement shall be in such form

Fiscal Policy Strategy Statement as may be prescribed and shall contain, *inter alia*,-

- (i) the fiscal policies of the State Government for the ensuing year relating to taxation, expenditure, borrowings and other liabilities including guarantees;
- (ii) the strategic priorities of the State Government in the fiscal area for the ensuing year;
- (iii) the key fiscal measures and the rationale for any major deviation in fiscal measures pertaining to taxation, subsidy, expenditure, administered pricing and borrowings; and

- (iv) an evaluation of the current policies of the State Government in the light of the fiscal management principles set out in section 4, the fiscal objectives contained in the Medium-Term Fiscal Policy Statement set out in section 7 and fiscal targets set out in section 9.
- 9. (1) The State Government may prescribe such targets as may be

 Fiscal Targets

 deemed necessary for giving effect to the fiscal management

objectives.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, -
 - (a) reduce revenue deficit in each financial year so as to eliminate it by 31st March 2009 and generate revenue surplus thereafter;
 - (b) reduce fiscal deficit in each financial year so as to bring it down to not more than 3.0 per cent of GSDP by 31st March 2009.
 - (c) ensure within a period of 10 years, that is as on the 31st day of March 2015, total liabilities do not exceed 40 per cent of the estimated GSDP for that year;
 - (d) limit the annual incremental guarantees so as to ensure that the total guarantees do not exceed 80 per cent of the total revenue receipt in the year preceding the current year:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section due to ground or grounds of shortfall in the central tax devolutions in relation to the budgetary estimates of the Union of India and/or unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify.

Provided further that a statement in respect of the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before the Legislature as contained in section 11.

10. (1) The State Government shall take suitable measures to

Measures for Fiscal Transparency

ensure greater transparency in its fiscal operations in the

public interest.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, at the time of presentation of the budget, disclose the following statements along with detailed information in such forms as may be prescribed:-
 - (a) the significant changes in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of fiscal targets;
 - (b) details of borrowings by way of Ways and Means Advances/Overdraft availed of from the Reserve Bank;
 - (c) details of number of employees in the State Government, State Public Sector Undertakings and State aided Institutions and related salaries.

11. (1) The Minister-in-Charge of the Department of Finance

Measures to Enforce Compliance.

(hereinafter referred to as Minister of Finance), shall review, every

half yearly, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget estimates and place before the State Legislature, the outcome of such reviews.

(2) Whenever there is either shortfall in revenue or excess of expenditure over the half-year targets mentioned in the Fiscal Policy Strategy Statement or the rules made under this Act, the State Government shall take

appropriate measures for increasing revenue and/or for reducing the expenditure including curtailing of the sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under clause (3) of Article 202 of the Constitution or any other expenditure, which is required to be incurred under any agreement or contract or such other expenditure which cannot be postponed or curtailed.

- (3) (a) Except as provided under this Act, no deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act, shall be permissible without approval of the Legislature.
- (b) Where owing to unforeseen circumstances, any deviation is made in meeting the obligations cast on the State Government under this Act, the Minister of Finance shall make a statement in the Legislature explaining: -
 - (i) any deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act:
 - (ii) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes; and
 - (iii) the remedial measures the State Government proposes to take.
 - (4) The State Government may entrust an agency independent of the State Government to review periodically as required, the compliance of the provisions of this Act and such reviews shall be laid on the table of the State Legislature.
- 12. (1) The State Government may, by notification in the OfficialPower to make RulesGazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely

- (a) the form of the Macro-economic Framework Statement under section 6;
- (b) the form of the Medium-Term Fiscal Policy Statement, including the fiscal targets under section 7;
- (c) the form of the Fiscal Policy Strategy Statement under section 8;
- (d) the forms for disclosure under sub-section (2) of section 10;
- (e) measures to enforce compliance under section 11;
- (f) the manner of review of compliance of the provisions of this Act by the independent agency under section 11; and
- (g) any other matter which is required to be or may be prescribed.
- (3) All rules made under this Act shall be laid as soon as may be after they are made, on the table of the Legislative Assembly.
- 13. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against

Protection of action taken in good faith

the State Government or any officer of the State Government for

anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or the rules made there under.

14. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in

Application of other laws not barred

derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions

Power to remove difficulties of this Act, the State Government may, by order published

in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly.